

2.18 49

परियोजना का नाम :-

चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09)
के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी

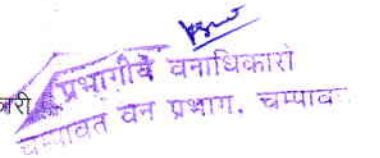


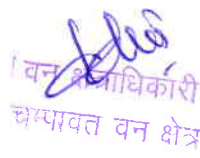
सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी



अधिशाली अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट


प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत


वन अधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र


वन अधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

वृक्षों के पातन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

2.18 58

परियोजना का नाम :-

चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के
चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण में चीड़ व बाँज के वृक्ष
प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित वृक्षों गणना कर सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/
प्रभागीय वनाधिकारी -
प्रभावित वन क्षेत्र, चम्पावत

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

अधिशाली अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

व. क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र
प्रभागीय वनाधिकारी -
चम्पावत